न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 96/2019
प्रार्थी :– जेठाराम पुत्र पेमाराम जाति माली निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955</u>

अधिवक्त 1 श्री अचलाराम थोरी

दिनांक :–22.10.2019

आदेश

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,की सरहद मौजा होटलु के खसरा न0 356/170 एवं मौजा बिठुजा में कृषि भूमि खसरा सं. 269 बालोतरा में प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि में अवस्थित है,। उक्त भूमियों के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार नाम दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' तक बंरग लाल के अनुसार भूमिगत पानी की पाईप लाईन मौजा बिठुजा पटवार क्षेत्र बिठुजा तहसील पचपदरा के किस्म गैर मुमकिन नदी खसरा यं. 84 में से संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार खसरा सं. 269 मौजा बिठुजा से सरहद मौजा होटलू के खसरा सं. 356/170 तक पानी की पाईपलाईन बिछाने हेतु अनुमति चाहता है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को दिनांक 10.6.2019 नोटिसेज जारी किये गये, जो बाद तामिल के पेश हुए। दिनांक 17.09.2019 को तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना रिपोर्ट में दिनांक 3.10.2019 को प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा बिठुजा के खसरा न0 269 मे आवेदक की टयूबवैल बनी हुई है तथा उक्त स्थान सडक मार्ग के बिल्कुल नजदीक है जो सडक मार्ग के नजदीक –नजदीक प्रार्थीद्वारा पी.डब्लू.डी की अनुमति से खसरा न0 269 से खसरा न0 231 तक पाईप लाईन डाली हुई है तथा मौजा होटलु के खसरा न0 430/247 से खसरा न0 227 गै0मु0 रेल्वे

(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

क्रमशः..............2

विभाग की अनुमति से पाईप लाईन डाली जा चुकी है। आवेदक द्वारा खसरा न0 84 किस्म गै0 मु0 नदी ग्राम बिठुजा की भूमि से पाईपलाईन डालने हेतु अनुमति चाही गई है मौजा बिठूजा के ख0न0 84 गै0मु0 नदी मे प्रार्थी द्वारा दर्शाये गये नजरी नक्शे अनुसार सरकारी भूमि का रकबा 0.04 बीघा बनता है जिसकी वर्तमान बाजार दर उप पंजीयक जसोल से प्राप्त की जाना अपेक्षित है। जिस पर उप पर्जीयक से रिपोर्ट चाही जो प्राप्त हुई

पत्रावली मे उप पंजीयक जसोल पत्र कमांक 353 दिनांक 101.0..2019 के डीएलसी रेट के संबंध मे जाहिर किया है कि " ग्रम बिठुजा के खसरा नं 01 से 84 तक प्रति बीघा उच्च मार्ग के अलावा सडक से दूर पर सिचित 38,3400 रू असिचित 319500 रू है।

प्रार्थी वकील उपस्थित । प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया ।

न्यायालय के प्रस्तुत जमाबंदी मौजा बिठुजा खसरा सं. 269 मौजा बिठुजा से सरहद मौजा होटलू के खसरा सं. 356/170 का अवलोकन किया गया उक्त खसरा भूमि में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवाारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्रम खसरा सं. 269 मौजा बिठुजा से सरहद मौजा होटलू के खसरा सं. 356/170 बिन्दु . 'ए' से बी अनुसार प्रार्थी द्वारा पानी की पाईप लाईन बिछाना चाहा गया था ।

चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य हेतु पानी की पाईप लाईन डालनी है जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रवधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 356/170 मौजा होटलू में कृषि कार्य हेतु फसल सिचाई के लिए भूमिगत पाईप लाईन खसरा न 84 मौजा बिठुजा में से प्रार्थी को अनुमति प्रदान की जाती ह। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट अनुसार 04 बिस्वा भूमि के बतौर क्षतिपूर्ती रूपये 63,900/- राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

Scanned by CamScanner